रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 9 जुलाई, 2004/18 आषाढ़, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

बिलासपुर, 25 जून, 2004

संख्या बी0 एल0 पी0-पंच-4-67/68-II-2850-54.—क्योंकि श्री विजेन्द्र चन्देल, प्रधान, ग्राम पंचायत बैहना जट्टा, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर ने सरकारी भूमि खसरा नं0 1084/1017/1 रकबा तादादी 0-2 बिस्वा सरकारी भूमि पर, अवैध कब्जा कर रखा है, मिस्ल कब्जा नजावज मुतर्वा पाई गई । जिस की पुष्टि तहसीलदार झण्डूता ने अपने पत्र संख्या झण्डूता/2004-304, दिनांक 2-6-2004 के अन्तर्गत की है;

और क्योंकि हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) के प्रावधान अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा :—

"(ग) यदि उसने राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी की, या उस द्वारा या उस की ओर से पट्टे पर ली गई या अधिकृत किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब तक कि उस तारीख से जिसको उसको बेदखल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो तो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो, या" ।

और क्योंकि उक्त श्री विजेन्द्र चन्देल, प्रधान ग्राम पंचायत बैहना जट्टा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1)(ग) के प्रावधानानुसार पंचायत पदाधिकारी होने के योग्य नहीं है।

अतः मैं, सुभाषीश पांडा, उपायुक्त बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विजेन्द्र चन्देल, प्रधान, ग्राम पंचायत बैहना जट्टा, को एतद्द्वारा नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न उन्हें प्रधान के पद के लिए अयोग्य घोषित करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 के अन्तर्गत उनके पद को रिक्त घोषित किया जाए। वे दिनांक 13-7-2004 समय 3.00 बजे इस कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी को मौखिक/लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा उनके विरूद्ध हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1)(क)(2) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

बिलासपुर, 25 जून, 2004

संख्या बी0 एल0 पी0-पंच-2775-80.—यह कि श्रीमती बिमला देवी, सदस्य, ग्राम पंचायत कुलज्यार, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) के ग्राम पंचायत कुलज्यार के परिवार रजिस्टर भाग-I की प्रमाणित प्रति अनुसार तीन सन्तानें हैं जिनमें से अन्तिम संतान लड़की दिनांक 1-1-2004 को पैदा हुई है।

और यह कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ण) के प्रावधान अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा :—

(ण) "यदि उसके दो से अधिक सन्तान है। परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निर्रहता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान है, जब तक उसकी एक वर्ष की अवधि के पश्चात और सन्तान नहीं होती"।

और यह कि उक्त श्रीमती बिमला देवी, सदस्य, ग्राम पंचायत कुलज्यार, हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के संख्यांक-18 के दिनांक 8-6-2001 के लागू होने के उपरान्त 1-1-2004 को तीसरी सन्तान पैदा हुई है जिसके फलस्वरूप उक्त श्रीमति बिमला देवी, सदस्य, ग्राम पंचायत कुलज्यार हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ण) के प्रावधानानुसार पंचायत पदाधिकारी होने के योग्य नहीं रहती।

अतः मैं, सुभाषीश पांडा, उपायुक्त बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (2) (II) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती बिमला देवी, सदस्य, ग्राम पंचायत कुलज्यार को एतद्द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न उन्हें पंच पद से अयोग्य घोषित करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 31 के अन्तर्गत उनके पद को रिक्त घोषित किया जाए। वे दिनांक 13-7-2004 को सायं 3.00 बजे इस कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी को मौखिक/लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (क) (2) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

बिलासपुर, 25 जून, 2004

संख्या-बीएलपी-पंच-2781-86.—यह कि श्री मुन्शी राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कुलज्यार, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर, (हि0 प्र0) के ग्राम पंचायत कुलज्यार के परिवार रजिस्टर भाग-I की प्रमाणित प्रति

अनुसार चार सन्तानें हैं परन्तु उन्होंने अपने ब्यान में यह व्यक्त किया है कि मेरे दिनांक 8-4-04 को पांचवीं सन्तान पैदा हुई है जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, झण्डूता ने अपने पत्र संख्या-2365, दिनांक 14-6-04 के अन्तर्गत की है ।

और यह कि हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ण) के प्रावधान अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा : —

(ण) "यदि उसके दो से अधिक सन्तान है परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान है, जब तक उसकी एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती ।"

और यह कि उक्त श्री मुन्शी राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कुलज्यार, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के संख्यांक 18 के दिनांक 8-6-2001 से लागू होने के उपरांत दिनांक 8-4-2004 को पांचवीं संतान पैदा हुई है जिसके फलस्वरूप उक्त श्री मुन्शी राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कुलज्यार, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ण) के प्रावधानानुसार पंचायत पदाधिकारी होने के योग्य नहीं रहता ।

अतः मैं, सुभाषीश पांडा, उपायुक्त, बिलासपुर, हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(2)(ii) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मुन्शी राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कुलज्यार, को एतद्द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न उन्हें उप-प्रधान के पद के लिए अयोग्य घोषित करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 के अन्तर्गत उनके पद को रिक्त घोषित किया जाए । वे दिनांक 13-7-04 को सायं 3.00 बजे इस कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी को मौखिक/लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1)(क)(2) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

बिलासपुर, 25 जून, 2004

संख्या बीएलपी-पंच-2787-92.—यह कि श्री छोटू राम, सदस्य, ग्राम पंचायत कुलज्यार, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के ग्राम पंचायत कुलज्यार के परिवार रजिस्टर भाग-I की प्रमाणित प्रति अनुसार तीन सन्तानें हैं जिनमें से अंतिम सन्तान लड़की दिनांक 2-11-2001 को पैदा हुई है ।

और यह कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ण) के प्रावधान अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा:—

(ण) "यदि उसके दो से अधिक सन्तान है। परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान है, जब तक उसकी एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती"।

और यह कि उक्त श्री छोटू राम, सदस्य, ग्राम पंचायत कुलज्यार, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के संख्यांक 18 के दिनांक 8-6-2001, से लागू होने के उपरांत दिनांक 2-11-2001 की तीसरी सन्तान पैदा हुई है जिसके फलस्वरूप उक्त श्री छोटू राम, सदस्य, ग्राम पंचायत कुलज्यार, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ण) के प्रावधानानुसार पंचायत पदाधिकारी होने के योग्य नहीं रहता ।

अतः मैं, सुभाषीश पांडा, उपायुक्त, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(2)(ii) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री छोटू राम, सदस्य, ग्राम पंचायत कुलज्यार को एतद्द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न उन्हें पंच पद से अयोग्य घोषित करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 के अन्तर्गत उनके पद को रिक्त घोषित किया जाए। वे दिनांक 13-7-2004 को सायं 3 बजे इस कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी को मौखिक/लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1)(क)(2) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

बिलासपुर-2, 25 जून, 2004

संख्या-बी0 एल0 पी-पंच-6-16/79-11-2855-61.—क्योंकि श्रीमती मीरा देवी, सदस्य ग्राम पंचायत सुई-सुरहाड़, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर को इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या बीएलपी-पंच-1011-15 दिनांक 10-3-2004 के अनुसार हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) व 2(ii) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था कि ग्राम पंचायत सुई-सुरहाड़ के परिवार रजिस्टर भाग-1 के अनुसार उक्त श्रीमती मीरा देवी की चार संताने है जिनमें से चौथी संतान लड़का दिनांक 23-2-2002 को पैदा हुआ है और वह इसलिए पंच पद पर रहने के योग्य नहीं है और क्यों न उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) व 2 (ii) तथा 131(2) जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत संशोधित है के प्रावधानाधीन उन्हें अयोग्य घोषित कर उनका पद रिक्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जाए।

और क्योंकि श्रीमती मीरा देवी, सदस्य ग्राम पंचायत सुई-सुरहाड़, विकास खण्ड सदर ने नोटिस का उत्तर देने के बजाए यह व्यक्त किया है कि मुझे इस सम्बन्ध में ज्ञान न होने के कारण मैं त्याग पत्र देती हूं और क्योंकि त्याग-पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा हि0 प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 135 के अन्तर्गत प्रावधानों को पूर्ण नहीं किया गया है।

अतः मैं, सुभाषीश पांडा, उपायुक्त बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (0) व 2 (ii) के अन्तर्गत पंच पद से अयोग्य घोषित करते हुए धारा 131 (2) के अन्तर्गत श्रीमती मीरा देवी, सदस्य ग्राम पंचायत सुई-सुरहाड़ के पद को रिक्त घोषित करता हूं तथा उन्हें आदेश देता हूं कि यदि उक्त सदस्य के पास ग्राम पंचायत की कोई वस्तु, धन राशि या अभिलेख हो तो उसे पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सुई-सुरहाड़ को सौंप दें।

सुभाषीश पांडा,
उपायुक्त,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय उपायुक्त, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

हमीरपुर, 29 जून, 2004

संख्या पी0सी0एन0-एच0एम0आर0(5)(ई)/9/2002-3012-19.—यह कि श्री रतन सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत पाहलू, विकास खण्ड बिझड़ी को उसके विरुद्ध प्राप्त विभिन्न शिकायतों की जांच के आधार पर कारण बताओ नोटिस संख्या-पंच-हमीर(पाहलू)-530-34 दिनांक, 2-3-2004 आरोप सूची सहित जारी किया गया था। आरोप सूची में दर्ज आरोपों बारे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उसे 15 दिन का समय दिया गया था। आरोप सूची में दर्ज आरोपों बारे उसका उत्तर, जो खण्ड विकास अधिकारी बिझड़ी की टिप्पणियों सहित प्राप्त है, की समीक्षा करने पर

सन्तोषजनक न पाया गया। इसी क्रम में उक्त शिकायत से सम्बन्धित निर्माण पक्का रास्ता गांव वधान तथा करतार सिंह के घर के आगे नाले तक डंगा निर्माण के बारे में सहायक अभियन्ता (विकास) हमीरपुर से मूल्यांकन रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है जिसमें इस कार्य का किए गए व्यय से कम मूल्यांकन पाया गया। इसके अलावा प्राप्त अन्य जांच रिपोर्ट से यह भी पाया गया कि प्राथमिक पाठशाला, बैरी में कमरा निर्माण हेतु जो अनुदान स्वीकृत हुआ था उससे अवैध रूप से राजकीय माध्यमिक पाठशाला, बैरी में कमरा का निर्माण किया। इस बारे भी प्रधान श्री बतन सिंह से पत्र संख्या पंच-हमीर (पाहलू)-2382, दिनांक 31-5-2004 द्वारा स्पष्टीकरण लिया गया जो समीक्षा उपरान्त सन्तोषजनक न पाया गया। इस आधार पर श्री बतन सिंह प्रधान ग्राम पंचायत पाहलू के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप प्रमाणित होते हैं :—

1. श्री बतन सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत पाहलू राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बैरी की पी0 टी0 ए0 कमेटी का भी प्रधान था। पी0टी ए0 कमेटी की दिनांक 8-7-2002 को हुई बैठक में प्रस्ताव संख्या 2 में राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बैरी के गिरे हुए कमरों के सामान जैसे दार, स्लेटों को निलाम करने का निर्णय किया। । परन्तु इस प्रस्ताव में इन गिरे हुए कमरों से प्राप्त हुए सामान का कोई विवरण न दिया गया कि लकड़ी व स्लेट कितने-कितने हैं। जबकि बतौर अध्यक्ष उसका यह कर्त्तव्य बनता था कि वह इस प्रस्ताव में गिरे हुए कमरों से प्राप्त हुए सामान का पूर्ण विवरण दिलवाता। इस तरह उसने अपने कर्तव्य के विरुद्ध कार्य किया है।

2. गांव दौऊगली में कुआं निर्माण हेतु मु0 85,000/- रुपये स्वीकृत थे तथा पंचायत अभिलेख अनुसार इस कार्य पर व्यय मु0 85,100/- रुपये हैं। जिसमें से मु0 62,433/- रुपये के वाऊचर दर्ज रोकड़ हैं तथा मु0 22,617/- रुपये का मस्ट्रोल अदायगी हेतु शेष है। प्रधान ने अपने उत्तर में मु0 22,617/- रुपये का कार्य किया जाना शेष बताया है तथा इसके साथ ही कार्य का पूर्ण व्यय 85,100/- रुपये बताकर अन्तिम किस्त की मांग की है। जबकि सहायक अभियन्ता (विकास), हमीरपुर से किए गए कार्य का मूल्यांकन कराने पर वह मु0 72,110/- रुपये हुआ है। इस तरह प्रधान ने इस कार्य पर मु0 85,100/- रुपये का व्यय करके मु0 12,990/- रुपये के दुरुपयोग का प्रयास किया है वहीं तथ्यों को छुपाकर विभाग को गुमराह किया है।

3. निर्माण रास्ता गोहर नाला से नाग देवता गांव दौगली के कार्य हेतु मु0 20,000/- रुपये का अनुदान स्वीकृत था। ग्राम पंचायत के अभिलेख अनुसार इस कार्य पर मु0 19,568/- रुपये व्यय हुआ है इस व्यय में तकनीकी सहायक का मानदेय भाग मु0 200/- रुपये भी शामिल है। इस तरह कार्य पर वास्तविक व्यय मु0 19,368/- रुपये बनता है। जबकि प्रधान ने इस कार्य का व्यय लेखा मु0 19,998/- रुपये प्रस्तुत किया है। इस कार्य का मूल्यांकन सहायक अभियन्ता (विकास), हमीरपुर से कराए जाने पर यह मु0 19,300/- रुपए है। इस तरह प्रधान श्री बतन सिंह ने मु0 68/- रुपए का दुरुपयोग किया है वहीं मु0 468/- रुपये का अधिक व्यय लेखा खण्ड विकास अधिकारी, बिलासपुर को प्रस्तुत कर विभाग को गुमराह करने का प्रयास किया है।

4. निर्माण पक्का रास्ता गांव वधान तथा करतार सिंह के घर से आगे नाले तक डंगों के निर्माण हेतु मु0 25,100/- रुपये स्वीकृत थे। पंचायत अभिलेख अनुसार कार्य पर व्यय मु0 25,267/- रुपये हुआ है। जबकि किए गए कार्य का सहायक अभियन्ता (विकास) हमीरपुर से मूल्यांकन कराये जाने पर यह मु0 23,249/- रुपये है। इस तरह मु0 2,018/- रुपये का दुरुपयोग हुआ है जिसके लिए श्री बतन सिंह प्रधान दोषी है।

5. निर्माण कमरा राजकीय प्राथमिक पाठशाला बैरी हेतु स्वीकृत अनुदान को राजकीय माध्यमिक पाठशाला, बैरी में कमरा निर्माण पर व्यय करके सरकारी आदेश की अवहेलना तथा नियम/अधिनियम की उल्लंघना कर मनमर्जी से कार्य किया गया है जिसके लिए श्री बतन सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत पाहलू दोषी है।

और क्योंकि श्री वतन सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत पाहलू के विरुद्ध उक्त आरोपों पर निष्पक्ष रूप से आगामी कार्यवाही करने के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित करना अनिवार्य है ।

अतः मैं, देवेश कुमार (भा0प्र0से0), उपायुक्त, हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0), हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(1) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वतन सिंह प्रधान ग्राम पंचायत पाहलू, विकास खण्ड बिझड़ी को उनके पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूं तथा उन्हें यह आदेशदेता हूं कि वह अपने पद का कार्यभार तुरन्त उप-प्रधान, ग्राम पंचायत पाहलू को सौप दें तथा यदि उनके पास ग्राम पंचायत की कोई सम्पत्ति या धन राशि हो तो उसे तत्काल सचिव, ग्राम पंचायत पाहलू को सौंप दें ।

देवेश कुमार,
उपायुक्त,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ।

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 28 जून, 2004

संख्या: पी0 सी0 एच0-के0 जी0 आर0-ई0 (15) 18/91-3224-29.—श्रीमती सुनीता देवी, प्रधान ग्राम पंचायत कोटलू, विकास खण्ड लम्बागांव, ने शिकायत की थी कि श्री केहर सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कोटलू ने सरकारी भूमि स्थित खसरा नं0 444/1, रकबा 0-15-32, मुहाल कोहाला, मौजा कोटलू पर नजायज कब्जा कर रखा है । इस मामले की जांच खण्ड विकास अधिकारी, लम्बागांव द्वारा तहसीलदार जयसिंह-पुर से करवाई गई जिसकी जांच रिपोर्ट उन्होंने अपने कार्यालय पत्र सं0 766, दिनांक 2-6-2004 के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्रेषित की है जिसके अनुसार खसरा नं0 444/1, रकबा 0-15-32, मुहाल कोहाला पर श्री केहर सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कोटलू के कब्जे की पुष्टि की गई है । इसके अतिरिक्त आपने खसरा नं0 444/1, रकबा 0-15-32 मुहाल कोहाला पर कब्जे के नियमितिकरण के लिये शपथ-पत्र भी दायर किया है ।

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) सी0 के अनुसार श्री केहर सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कोटलू, विकास खण्ड लम्बागांव उप प्रधान पद पर बने रहने के अयोग्य हो चुके हैं ।

अतः आपको हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (क) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों न उपरोक्त अधिनियम की धारा 122 (1) सी के अधीन आपको उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कोटलू के पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाये । आपका उत्तर खण्ड विकास अधिकारी, लम्बागांव के माध्यम से 15 दिनों के भीतर-भीतर इस कार्यालय में प्राप्त होना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते अपितु आपको आरोप स्वीकार है तथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

श्रीकान्त बाल्दी (भा0प्र0से0),
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित